संशोधन

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/354/72/सी.सी./24/अडतीस भोपाल, दिनांक 03/06/2024

प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार जुलाई 2024 से स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का पत्र क्र. 316/43/2024/38 दिनांक 20.05.2024

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के लिए माह दिसंबर 2022 में जारी दिशा-निर्देश के पृष्ठ क्रमांक-9 के बिन्दु क्रमांक 3.2.3 के अंतर्गत उल्लेखित बिन्दु "आवश्यक अधोसंरचना" के अनुरूप स्नातक चतुर्थ वर्ष (आनर्स) के पाठ्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त शासकीय/अनुदान अशासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों में तथा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) पाठ्यक्रम का संचालन केवल ऐसे स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में किया जाए जिनमें कम से कम दो नियमित शिक्षक शोध निदेशक के रूप में पंजीकृत हों एवं इन महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र संचालित किए जा रहे हों।

उक्त निर्देशों का पालन करते हुए स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए।

1/ ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को 7.5 CGPA की अनिवार्यता नहीं होगी।

2/ ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें 7.5 CGPA अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट भी अर्जित करना होगा।

3/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश अनुसार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे।

4/ इसी प्रकार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे ।

5/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन पूर्व स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी सत्र 2024-25 में स्नाकोत्तर कक्षा के अर्हता अनुसार चयनित किसी भी विषय में स्नाकोत्तर दो वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होगे।

6/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के उपरांत ऐसे विद्यार्थी जिन्होने स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा 120 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण की हो, वे स्नाकोत्तर कक्षा के लिए चयनित वांछित विषय में पूर्वानुसार स्नाकोत्तर दो वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होगे।

7/ ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष में निर्धारित 160 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करेंगे उन्हें एक वर्षीय मेजर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी ।

3-6-24

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 03/06/2024

पृ.क्रमांक/355/72/सी.सी./24/अडतीस

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल ।
4. निज सहायक, कुलगुरू (समस्त) विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
6. सी.ई.ओ., एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3-6-24

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग